

निदेशालय ग्रामीण विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़

आदेश

मामले में विभाग ने विचारोपरान्त श्री रामनिवास, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चरखी दादरी को 55 वर्ष की आयु उपरान्त सेवा में नियमानुसार बनाये रखने का निर्णय लिया है ।

चण्डीगढ़, दिनांक
01.06.2022

धीरेन्द्र खड़गटा,
निदेशक एवं विशेष सचिव
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्र० स्था-2022/6914

चण्डीगढ़, दिनांक 07.06.2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चरखी दादरी को उनके यादी क्रमांक: 1680, दिनांक 17.05.2022 के संदर्भ में श्री रामनिवास, सहायक परियोजना अधिकारी की सेवा पंजी व वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 से 2021-2022 तक मूल रूप से संलग्न है।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को वैबसाइट पर अपलोड करने बारे।
3. श्री रामनिवास, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चरखी दादरी, हरियाणा।


अधीक्षक

कृते: निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।